

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

हरियाणा सरकार के वित्तों पर यह प्रतिवेदन वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (वि.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित बजट अनुमानों, लक्ष्यों की तुलना में 2012-13 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु प्रकाशित किया गया है तथा सरकार की प्राप्तियों तथा वितरण की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा संरचनात्मक प्रोफाइल का विश्लेषण करता है।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के हरियाणा सरकार के लेखापरीक्षा किए गए लेखाओं तथा कई स्रोतों जैसे राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण तथा जनगणना से प्राप्त अतिरिक्त डाटा पर आधारित, यह रिपोर्ट तीन अध्यायों में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा करती है।

अध्याय - 1 वित्त लेखाओं के लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा हरियाणा सरकार की 21 मार्च 2013 की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह प्राप्तियों तथा वितरण की टाईम सीरीज, बाजार उधारों, व्यय की गुणवत्ता, सरकारी व्यय तथा निवेश का वित्तीय विश्लेषण, ऋण संपोषण क्षमता तथा वित्तीय असन्तुलन का लेखा प्रदान करता है।

अध्याय - 2 विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोजनों का अनुदान वार विवरण देता है। यह वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन, ट्रेजरीज की वर्किंग में कमियां तथा चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम का विस्तृत विवरण करता है।

अध्याय - 3 हरियाणा सरकार द्वारा, विभिन्न रिपोर्टिंग अपेक्षाओं और वित्तीय नियमों की अनुपालना से संबंधित सूची है।

लेखापरीक्षा परिणाम एवं सिफारिशें

अध्याय 1

वित्तीय सुधार: राजकोषीय मानकों अर्थात् राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा/आधिक्य के संबंध में राजकोषीय स्थिति ने 2008-09 से बढ़ती प्रवृत्तियां इंगित की। 2012-13 के दौरान राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा 2008-09 में ₹ 2,082 करोड़ ₹ 6,557 करोड़ तथा ₹ 4,218 करोड़ से क्रमशः ₹ 4,438 करोड़, ₹ 10,362 करोड़ तथा ₹ 5,618 करोड़ तक बढ़ गया। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार कि राजस्व घाटा 2011-12 तक शून्य तक लाया जाना है तथा 2014-15 तक शून्य पर रखा जाना है, किंतु राजस्व घाटा वर्ष के दौरान और बढ़ गया।

ब्याज भुगतान: ब्याज भुगतान (₹ 4,744 करोड़), 2011-12 पर वर्ष के दौरान 19 प्रतिशत तक बढ़ गये तथा राजकोषीय सुधार पथ (₹ 4,620 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों तथा तेरहवें वित्त आयोग (₹ 4,616 करोड़) द्वारा नियत सीमा से उच्चतर थे किंतु मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (₹ 5,112 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों के भीतर थे।

योजनेत्तर व्यय: राजस्व व्यय ($\text{₹ } 38,072$ करोड़) कुल व्यय ($\text{₹ } 44,356$ करोड़) का 86 प्रतिशत था तथा योजनेतर घटक ($\text{₹ } 28,616$ करोड़) राजस्व व्यय का 75 प्रतिशत था जोकि तेरहवें वित्त आयोग के मानकीय निर्धारण ($\text{₹ } 20,360$ करोड़) तथा राजकोषीय सुधार पथ के प्रक्षेपण ($\text{₹ } 27,410$ करोड़) से उच्चतर था।

अपूर्ण परियोजनाएं: दिसम्बर 2007 और मार्च 2013 के बीच पूर्ण होने वाली 66 मूलभूत संरचना परियोजनाएं अब तक अपूर्ण थीं। इन अपूर्ण परियोजनाओं का समय एवं लागत व्यय कम किए जाने की आवश्यकता है ताकि लागत का लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

सरकारी निवेशों की समीक्षा: साविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत रिटर्न पिछले पांच सालों में 0.02 से 0.17 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि ब्याज निर्गमन की रेंज 7.82 से 9.86 प्रतिशत थी। सरकार निवेशों पर रिटर्न की दर बढ़ाने के क्षेत्रों पर विचार कर सकती है।

कर्ज निर्वहन योग्यता: 2012-13 में गारंटियों तथा सांत्वना-पत्र सहित राज्य की कुल देयताएं परिकलित करते हुए $\text{₹ } 91,500$ करोड़ थीं जो स.रा.घ.उ. का 25.89 प्रतिशत थी एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2005 के निर्धारित पैरामीटर्ज की कुल बकाया ऋण वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के 22.7 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, से अधिक थी। सरकार एफ.आर.बी.एम. अधिनियम द्वारा निर्धारित पैरामीटरों के अंदर कुल देयताओं को रखने के लिए पर्याप्त प्रयत्न करने के लिए विचार कर सकती है।

राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार से सीधे हस्तान्तरित निधियों का निरीक्षण: भा.स. ने पिछले वर्ष की तुलना में $\text{₹ } 30$ करोड़ (1.49 प्रतिशत) की कमी दर्ज करते हुए वर्ष के दौरान राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को $\text{₹ } 1,979.71$ करोड़ सीधे हस्तान्तरित किए चूंकि ये निधियां सरकारी बजट के माध्यम से नहीं दी जाती, वित्त लेखे केंद्रीय सरकार रिसोर्सिंज के राज्य में फंड फ्लों की पूर्ण पिक्चर प्रस्तुत नहीं करते।

अध्याय 2

वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रण:

$\text{₹ } 428.10$ करोड़ के आधिक्य के प्रति संतुलन के बाद भी राज्य में $\text{₹ } 10,982.48$ करोड़ की समग्र बचतें थीं। अतिरिक्त व्यय को भारतीय संविधान की धारा 205 के तहत विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। निधियों के अपर्याप्त प्रावधान और अनावश्यक अथवा ज्यादा पुनर्विनियोजनों दोनों के उदाहरण थे। वर्ष के अन्त में अधिक रखर्च भी देखा गया। बहुत से केसों में, पूर्वज्ञात बचतें या तो समर्पित नहीं की गईं या वर्ष के आखिरी दो दिनों में की गईं जिससे इन निधियों को उपयोग किए जाने की गुंजाइश नहीं थी। बजट नियंत्रण का सर्वतों से पालन किया जाना चाहिए ताकि बजट प्रबन्धन में ऐसी कमियां न रहें। अन्तिम समय निधि का निर्गम और पुनर्विनियोजन/समर्पण आदेश जारी करने से बचना चाहिए।

अध्याय 3

वित्तीय रिपोर्टिंग:

विभिन्न संस्थाओं को ऋणों एवं अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में आसाधरण विलंब थे। स्वायत्त निकायों और विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपकरणों द्वारा वार्षिक लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलंब थे। सरकारी धन की चोरी, दुरुपयोग, सरकारी सामग्री की हानि, गबन इत्यादि के मामले में विभागीय कार्यवाई लम्बी अवधि से लंबित थी। भविष्य में हानियों एवं दुरुपयोग रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण सुदृढ़ किया जाना चाहिए। ऐसे केसों से बचने के लिए सभी संगठनों में आन्तरिक नियंत्रण को सशक्त किया जाना चाहिए। 2012-13 के दौरान प्राप्तियों तथा व्यय की महत्वपूर्ण राशियां बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां/व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई थी, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग में उच्चतर पारदर्शिता के लिए बचा जाना चाहिए।